

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

गतिविधियों पर रिपोर्ट

(01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)





भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

गतिविधियों पर रिपोर्ट

(01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

महानगर दूरसंचार भवन
जवाहरलाल नेहरु मार्ग
नई दिल्ली—110002

विषय—सूची

पृष्ठ संख्या

I.	उपभोक्ता हित	1
—	सेवा की गुणवत्ता	1
—	खुदरा टैरिफ़	2
—	सेवा के प्रावधानों में पारदर्शिता	4
—	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी	6
—	स्पैम का मुकाबला करना	9
—	जन कल्याण उपाय	10
—	उपभोक्ता शिकायतों का निवारण	10
—	उपभोक्ता सहभागिता	10
II.	स्पेक्ट्रम, लाइसेंस देना, बाजार तंत्र और विकास नीति पर सिफारिशें	12
—	स्पेक्ट्रम	12
—	लाइसेंस प्रदान करना	13
—	मीडिया बाजार और स्वामित्व	14
—	दूरसंचार के लिए व्यापक एक्सेस	17
—	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति	19
—	आपातकालीन सेवाएं	19
III.	अंतःसंयोजन (इंटर कनेक्शन)	22
IV.	केबल टीवी सेवाओं का डिजिटलीकरण	23
V.	विनियामक प्रवर्तन	25
VI.	अध्ययन लेख (स्टडी पेपर)	26

प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथा संशोधित) के अंतर्गत दूरसंचार और प्रसारण सेक्टरों को विनियमित करने, उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों का संरक्षण करने और सेक्टर के व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित व सुनिश्चित करने के लिए स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) एक सांविधिक निकाय है। भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंसों की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने, अंतःसंयोजन के निबंधन और शर्तें तय करने, अंतःसंयोजन प्रभारों को विनियमित करने और साथ ही उन दरों, जिन पर उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाएंगी, को अधिसूचित करने जैसे विनियामक और टैरिफ निर्धारण कार्यों का निष्पादन किया जाता है। साथ ही भादूविप्रा के द्वारा या तो स्व-प्रेरणा से अथवा दूरसंचार सेवाओं के मामलों में अनुज्ञाप्तिदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग अथवा प्रसारण व केबल सेवाओं के मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर सिफारिशें प्रदान की जाती हैं। सिफारिश करने की इन शक्तियों में अन्य बातों के साथ ही साथ लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, प्रतियोगिता सुकर बनाने के लिए उपाय और स्पेक्ट्रम का दक्ष प्रबंधन करना शामिल है।

वर्ष 2013 के दौरान, इन दो निर्णायक सेक्टरों के विकास को पुनर्जीवित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा कई उपाय किए गए। प्रसारण सेक्टर में कई चुनौतियों का सामना करते हुए, डिजिटलीकरण संबंधी प्रयासों, जिनका उद्देश्य उपभोक्ता को सशक्त बनाना और सेवा की बेहतर गुणवत्ता व अधिक व्यापक पसंद उपलब्ध कराना है, को आगे बढ़ाया गया। सेट टॉप बाक्सों को प्रारंभ करना और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय करने के कार्य को देश भर में अधिकांश बड़े नगरों व शहरों में पूरा कर लिया गया है। मीडिया बाजार में स्वामित्व के केन्द्रीयकरण को शासित करने के लिए नीतिगत तंत्र की आवश्यकता पर भादूविप्रा का ध्यान रहा है। भादूविप्रा ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटरों पर युक्ति संगत नियंत्रण लगाने की सिफारिश की है, ताकि केबल टीवी वितरण सेक्टर में एकाधिकार और बाजार पर प्रभाविता की रोकथाम की जा सके। टीवी उद्योग में किसी चैनल द्वारा विज्ञापन आकर्षित करने की शक्ति और अंतः विषय-वस्तु के उत्पादन और नियोजन को टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रभावित किया जाता है। भादूविप्रा के द्वारा एक व्यापक तंत्र विकसित किया गया है, जो रेटिंग एजेंसियों और रेटिंग प्रणालियों के लिए पात्रता की शर्तों और मानकों को निर्धारित करता है, प्रभावशाली तरीके से निगरानी करने और दण्डात्मक प्रावधानों के माध्यम से इन पैरामीटरों का अनुपालन लागू करवाने और कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध योजना के लिए कार्य प्रणाली निर्धारित करता है। भादूविप्रा द्वारा टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों के द्वारा लिए जा रहे एयर टाइम को सीमित करने के लिए विनियम जारी करके टेलीविजन दर्शकों के लिए सेवा की गुणवत्ता से सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

दूरसंचार सेक्टर में भादूविप्रा द्वारा स्पेक्ट्रम के मूल्यनिर्धारण करने संबंधी जटिल मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैन्डों की नीलामी के लिए उपयुक्त आरक्षित मूल्य के संबंध में सरकार को सिफारिशें भेजी गईं, जो सेक्टर के विकास और स्थायित्व को पुनः स्थापन करेंगी। चूंकि नीलामी से संबंधित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इन्हें केवल मूल नीतिगत तंत्र, जिनमें ये अंतःस्थापित हैं, के संदर्भ में देखा जाना है। अतः भादूविप्रा द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को केवल आरक्षित मूल्य तक सीमित नहीं रखा गया है। यह नीति न केवल नीलामी की सफलता को प्रभावित करेगी, वरन् एक समुचित तरीके से जिम्मेदार नीति व्यवस्था, सेक्टर के भविष्य को भी पूर्णतया निर्धारित कर सकती है। इस कारण से भादूविप्रा द्वारा स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, उपयोग को उदार बनाने, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार और स्पेक्ट्रम व्यापार

(लेन-देन) के संबंध में अपनी सिफारिशों दी गई। भादूविप्रा द्वारा टैरिफ़ फ्रन्ट में अधिकांश सेवाओं के संबंध में स्थगन की सामान्य नीति को चालू रखा गया है। रोमिंग सेवाओं की उच्चतम टैरिफ़ को हटाया गया और सेवा प्रदाताओं को स्पेशल टैरिफ़ वाउचरों और कॉम्बो वाउचरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर रोमिंग करने वालों (नेशनल रोमरों) के लिए टैरिफ़ों को अनुकूलित करने के लिए लोच प्रदान किया गया। उपभोक्ता निर्धारित प्रभारों के भुगतान के एवज में आशिक फ्री-रोमिंग या पूर्ण फ्री-रोमिंग का लाभ ले सकते हैं। भादूविप्रा द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोन का लाभ उठाने के प्रयास में मददगार की भूमिका अपनाई है। देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए इस बहुमुखी संचार चैनल के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए, असंरचनाबद्ध पूरक सेवाओं के डाटा चैनलों के लिए एक समर्थकारी टैरिफ़ लागू किया गया। उपभोक्ता हितों के संबंध में प्रभावकारी उपाय किए गए, वर्ष के दौरान अवांछनीय वाणिज्यिक कालों की संख्या में कमी, एमएनपी सुविधाओं का विस्तार और बिना सहमति के मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) के प्रावधानों से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए तंत्र की स्थापना दिखाई दी। भादूविप्रा द्वारा फील्ड स्तर पर पहुंच बनाने, उपभोक्ता को जागरूक करने और उपभोक्ता सहभागिता के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रायोगिक आधार पर कुछ क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए।

भादूविप्रा द्वारा अपने आदेशों, निदेशों और विनियमों को प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। विनियामक अपेक्षाओं के पालन की निगरानी, अननुपालन के लिए वित्तीय निरुत्साहनों के अधिरोपण और गंभीर अपराध के मामलों में अभियोजन शिकायतें, प्रारंभ करने, के परिणामस्वरूप बेहतर अनुपालन और विनियामक प्रवर्तन हुआ है। भादूविप्रा की (प्राधिकरण के द्वारा जारी विनियमों के संबंध में) गौण विधि निर्माण संबंधी शक्तियों की, दिनांक 06 दिसंबर, 2013 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा भी पुष्टि की गई। माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा विनियम बनाने के अधिकार बहुत व्यापक है और यह भी कि भादूविप्रा अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों को केवल उच्च न्यायालय में उपयुक्त याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है।

इस लेख (पेपर) के माध्यम से, हम कैलेण्डर वर्ष 2013 के दौरान भादूविप्रा की गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। हितधारकों को विगत वर्ष के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए इसे वेबसाइट (पब्लिक डोमेन) पर रखा गया है। विभिन्न कार्यालय शीर्षकों के अंतर्गत गतिविधियों का वर्गीकरण केवल सहज बोध (समझ) में सहायता के लिए किया गया है। इस लेख में उल्लिखित समस्त सिफारिशें, विनियम, आदेश और निदेश भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा विस्तृत संदर्भ के लिए देखे जा सकते हैं।



(राजीव अग्रवाल)
सचिव

गतिविधियों पर रिपोर्ट

I. उपभोक्ता हित

उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना, भादूविप्रा के लिए मूल अधिदेश है। प्राधिकरण द्वारा कई क्षेत्रों में विनियामक तंत्र स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ता अनुभव में सुधार लाने में सहायता प्राप्त हुई है।

सेवा की गुणवत्ता

अच्छा उपभोक्ता अनुभव व धन की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए जाते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में भादूविप्रा द्वारा कार्रवाई की गई :—

1. सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) संशोधन विनियम, 2013, दिनांक 20 मार्च, 2013 और विज्ञापनों के विवरणों के संबंध में प्रसारकों को दिनांक 07 अगस्त, 2013 का आदेश

यह विनियम, प्रसारकों को अधिदेश देता है कि वे विद्यमान नियमों में निर्धारित किए गए अनुसार, अपने चैनलों में किसी भी एक घंटे की अवधि में विज्ञापनों की अधिकतम अवधि को 12 मिनट तक सीमित रखें। दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान में, उनके टीवी चैनलों पर विज्ञापनों से समिश्रित विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया जा रहा है। अत्यधिक विज्ञापन उपभोक्ताओं के देखने के अनुभव की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि को 12 मिनट तक सीमित करना, विश्व के कई भागों में सामान्य है। इसके अलावा यह केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित की गई विज्ञापन संहिता के लिए अक्षरशः आधारभूत प्रावधानों का अंग हैं। इन विनियमों की निगरानी करने और इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रसारकों को अधिदेशित किया गया है कि वे उनके चैनलों पर दिखाए गए विज्ञापनों की अवधि की सूचना तिमाही आधार पर प्राधिकरण को दें। बाद में प्रसारकों को निदेश दिए गए हैं कि वे उनके प्रत्येक टीवी चैनल पर दिखाए गए विज्ञापनों के विवरण साप्ताहिक आधार पर भादूविप्रा को प्रस्तुत करें।

2. वायरलैस डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 23 मई, 2013 का विनियम, 2012

ये निदेश एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से, वायरलैस डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों के संबंध में मानकों पर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए जारी किए गए थे।

3. सभी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों को तथा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई ऑडिट एजेंसियों से ऑडिट कराने तथा सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 18 अक्तूबर, 2013 के निदेश

अपने गुणवत्ता प्रवर्तन तंत्र की प्रभावकारिता का माप करने के लिए, भादूविप्रा द्वारा सेवा की गुणवत्ता का और साथ ही साथ सेवा की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष ज्ञान का आवधिक मूल्यांकन किया जाता

है। भादूविप्रा के द्वारा ऑडिट करने, सेवा की गुणवत्ता के मानकों की तुलना में सेवा प्रदाताओं के सेवा निष्पादन का मूल्यांकन करने और उपभोक्ता बोध के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विनियमों और आदेशों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में आवधिक फील्ड जांच की जाती हैं। उनके द्वारा ऑडिट और सर्वेक्षण एजेंसियों की रिपोर्टों का मूल्यांकन और निगरानी की जाती है और इस प्रकार सेवा गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इस संबंध में, दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को आदेश जारी किए गए कि वे, सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन संबंधी प्रत्येक महीने का डाटा आगामी महीने की 5 तारीख तक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई ऑडिट एजेंसियों को उपलब्ध कराएं।

खुदरा टैरिफ

भादूविप्रा को अधिदेश है कि वह टैरिफ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं की दरें निर्धारित करें। भादूविप्रा द्वारा टैरिफ विनियमों के माध्यम से उपभोक्ता हितों का ध्यान रखा जाता है। जहां मार्केट इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रही हो, वहां भादूविप्रा के विनियम उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा टैरिफ प्रस्ताव तय करने का प्रबंध करते हैं। दूरसंचार सेक्टर में तीव्र प्रतियोगिता के आलोक में, भादूविप्रा द्वारा अलग-अलग दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ की तुलना में स्थगन का प्रयोग किया गया है। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित टैरिफ विनिर्दिष्ट किए गए :—

- (1) **दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (पांचवा) (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली)** टैरिफ आदेश, 2013, दिनांक 27 मई, 2013 और
- (2) **दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठा) (डायरेक्ट-टु-होम सेवाएं)** टैरिफ आदेश, 2013, दिनांक 27 मई, 2013

इन टैरिफ आदेशों के द्वारा क्रमशः अधिसूचित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएस) में सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की आपूर्ति व संस्थापन, और डॉयरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) सेवाओं के उपभोक्ताओं को ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीआई) की आपूर्ति व संस्थापन के लिए मानक टैरिफ पैकेज का प्रावधान किया गया है। मानक टैरिफ पैकेज का प्रावधान केवल ऐसे बुनियादी/साधारण एसटीबी/सीपीई, जो मानक स्पष्टता (स्टैन्डर्ड डेफिनिएशन) को प्राप्त करने के लिए हैं, हेतु किया गया है, जो कि भारतीय मानक व्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए संबंधित भारतीय मानकों, यदि कोई हों, के अनुरूप हों। भादूविप्रा द्वारा निर्धारित किए गए मानक टैरिफ पैकेजों के अलावा, विद्यमान विनियमों/टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अंतर्गत, अपनी स्वयं की व्यापार योजना के अनुसार प्रचालक अपने ग्राहकों को एसटीबी/सीपीई की आपूर्ति के लिए पेशकश करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपभोक्ताओं के पास भादूविप्रा द्वारा निर्धारित किए गए मानक टैरिफ पैकेज और प्रचालकों द्वारा पेश की गई वैकल्पिक योजनाओं में से चयन का विकल्प है।

- (3) राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को परिशोधित करते हुए दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 का दिनांक 17 जून, 2013 का पचपनवां संशोधन

इस संशोधन के माध्यम से, भादूविप्रा द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग कॉलों और एसएमएस के लिए उच्चतम दर को घटाया गया और नई व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यह लोच प्रदान किया गया कि वे स्पेशल टैरिफ वाउचरों (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर रोमिंग करने वाले (रोमरों) के लिए टैरिफों को उनकी जरूरतों के अनुरूप बनाएं। यह संशोधन सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह भी अधिदेशित करता है कि वे दो प्रकार की निःशुल्क रोमिंग योजनाएं अर्थात् रोमिंग टैरिफ योजना (आरटीपी) और रोमिंग टैरिफ प्लान-फ्री रोमिंग (आरटीपी-एफआर) उपलब्ध कराएं, जिनमें उपभोक्ता एक निर्धारित प्रभार का भुगतान करने के एवज में आंशिक फ्री-रोमिंग अथवा पूरी तरह फ्री रोमिंग का उपयोग कर सकते हैं।

उच्चतम टैरिफों को जावक (आउटगोइंग) कॉल के लिए 1.40 रु 0 प्रति मिनट से घटाकर 1.00 रु 0 प्रति मिनट और राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान जावक (आउट गोइंग) एसटीडी कॉल के लिए 2.40 रु 0 प्रति मिनट से घटाकर 1.50 रु 0 प्रति मिनट कर दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आवक कॉलों के लिए उच्चतम टैरिफ को 1.75 रु 0 प्रति मिनट से घटाकर 0.75 रु 0 प्रति मिनट कर दिया गया है। राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान जावक एसएमएस के लिए टैरिफ, जो पहले स्थगन के अधीन था, के लिए अब उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, जावक लोकल-एसएमएस 1.00 रु 0 प्रति एसएमएस की दर से और जावक एसटीडी एसएमएस 1.50 रु 0 प्रति एसएमएस की दर से होंगे। आवक (प्राप्त होने वाले) एसएमएस निःशुल्क रहेंगे।

- (4) मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2013 और दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 का दिनांक 26 नवम्बर, 2013 का छप्पनवां संशोधन

मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए तंत्र निर्धारित करते हैं :—

ग्राहकों के लिए वित्तीय लेन-देन करने हेतु मोबाइल फोन तेजी के साथ एक उपयोगी उपकरण के रूप में उभर रहा है। यह विशेषकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक सहज पहुंच नहीं है, अर्थात् वे जो वित्तीय रूप से वर्जित (अलग) हैं। भारत की विशाल आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोन का लाभ उठाने के प्रयास में, भादूविप्रा द्वारा सुविधाकारक की भूमिका अपनाई गई है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना पर मिलकर काम करने के लिए, भादूविप्रा ने पिछले वर्ष के दौरान बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच विस्तृत विचार-विमर्श की व्यवस्था की। प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए विनियामक मध्यस्थता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकों और उनके प्राधिकृत एजेंटों को एकीकृत वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) और असंचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) आधारित संयोजकता को सुकर बनाने के लिए, समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निदेश देने के लिए मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) विनियम को संशोधित किया गया है। इसके अलावा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999

के 56वें संशोधन के माध्यम से, व्यापक आधार पर वहनीय टैरिफ पर मोबाइल बैंकिंग को उपलब्ध कराने के लिए, मोबाइल उपभोक्ताओं के द्वारा मोबाइल बैंकिंग के लिए यूएसएसडी आधारित चैनलों के उपयोग के लिए उपभोक्ता खुदरा (रिटेल) टैरिफ के रूप में, प्रति यूएसएसडी आधारित सत्र के लिए 1.50 रु0 की दर से उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इन उपायों के साथ यह अपेक्षा की जाती है कि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए बाजार के तेजी से विकास के लिए, गति प्राप्त होगी।

सेवा के प्रावधानों में पारदर्शिता

सेवा प्रावधानों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस प्रकार की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भाद्रविप्रा के द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :—

1. सिमों का प्रयोग न किए जाने के कारण इनके असक्रिय के लिए दिशा-निर्देश, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 के दिनांक 21 फरवरी, 2013 के छठे संशोधन द्वारा जारी किए गए

ये विनियम उपयोग न किए जाने के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के द्वारा सिमों के असक्रियण के मामलों में मोबाइल उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करते हैं। ये विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिदेशित करते हैं कि उन मामलों में जहां दूरसंचार सेवा प्रदाता, उपयोग न किए जाने के आधार पर सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों को असक्रिय करने के लिए शर्ते निर्धारित करते हैं, वहां निम्नलिखित विनियामक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा :—

- (1) प्री-पेड उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्शन को, प्रयोग न किए जाने की 90 दिन से कम की किसी भी अवधि के लिए निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।
- (2) उपयोग के उद्देश्य के लिए कोई वॉयस कॉल/वीडियो कॉल (आवक या जावक) अथवा कोई जावक (आउटगोइंग) एसएमएस या कोई डाटा उपयोग या मूल्यवर्धित सेवाओं का उपयोग या (पोस्ट पेड कनेक्शनों के मामले में) किराए का भुगतान करना इत्यादि, निश्चित रूप से गतिविधि की परिधि में आते हैं, सेवा प्रदाता भी किसी अन्य गतिविधि को निर्धारित कर सकता है।
- (3) यदि प्री-पेड उपभोक्ता के खाते में 20/- रुपए या अधिक शेष है तो निष्क्रियण नहीं किया जाएगा।
- (4) प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए यथोचित प्रभारों के भुगतान पर एक "स्वचल नम्बर धारण योजना" (आटोमेटिक नंबर रिटेंशन स्कीम) को कार्यान्वित किया जाएगा।
- (5) किसी उपभोक्ता, जिनके कनेक्शन को निष्क्रिय कर दिया गया है, को 15 दिन की छूट अवधि प्रदान की जाएगी, जिसके अंदर वह अपने उसी नंबर को सक्रिय करा सकता है।
- (6) उपभोक्ताओं को सिमों का प्रयोग न किए जाने के कारण निष्क्रिय किए जाने संबंधी निबंधन और शर्तों के संबंध में पारदर्शी तरीके से सूचित किया जाएगा।

यह विनियम, एक यथोचित प्रभार का भुगतान करने पर पोस्ट—पेड उपभोक्ताओं के लिए 'संरक्षित अभिरक्षा योजना' (सेफ कस्टडी स्कीम) को क्रियान्वित करने का भी अधिदेश देता है। इस प्रकार के उपभोक्ताओं को संरक्षित अभिरक्षा अवधि के दौरान मासिक किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. **सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सहिता) (संशोधन) विनियम 2013, दिनांक 25 मार्च, 2013**

ये विनियम, मीटरिंग और बिलिंग ऑफिट करने, जो कि बिलिंग परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत, जांच सूची और आदेश का प्रावधान करते हैं। लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट और की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने तथा अपूर्ण लेखापरीक्षा व की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने, और प्रभावित उपभोक्ताओं को उनसे अधिक वसूली गई राशियों को विलम्ब से वापस लौटाने को हतोत्साहित करने के संबंध में वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों में लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी निर्धारित किए गए हैं।

3. **मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) के लिए सहमत होने (अभिदान करने) और नवीकरण करने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 04 जुलाई, 2011 के निदेश का दिनांक 10 जुलाई, 2013 को संशोधन**

यह निदेश, यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएसएस) का सक्रियण और निष्क्रियण उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना न किया जाए। सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया गया कि वे सभी प्रकार के सक्रियण—बहिर्गमी डायलिंग (ओबीडी), आईवीआरएस, वायरलैस एक्सेस प्रोटोकॉल (डब्ल्यूएपी), मोबाइल इंटरनेट, यूएसएसडी, एसएमएस, टेलीकॉलिंग या सक्रियण के किसी अन्य तरीके के लिए एकरूप वीएएस सक्रियण प्रक्रिया को अपनाएं। उपभोक्ता से पहली सहमति प्राप्त करने के बाद, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के द्वारा मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध कराने से पहले तटस्थ तृतीय पक्ष के माध्यम से दूसरी सहमति प्राप्त करनी होगी। निष्क्रियण के लिए भी, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए टॉल फ्री शॉर्ट कोड नंबर 155223 के माध्यम का उपयोग करते हुए एक समान प्रक्रिया होगी।

4. **दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (सातवां संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 03 दिसंबर 2013**

भादूविप्रा को उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना विशेष टैरिफ वाउचरों (एसटीवी) और डाटा टैरिफ पैकों के स्वतः नवीकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन विनियमों के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा यह अधिदेशित किया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के द्वारा एसएमएस के लिए विशेष टैरिफ वाउचरों (एसटीवी) और डाटा पैक (7 दिन से अधिक वैधता वाले) का स्वतः नवीकरण, निर्धारित 'ऑप्ट इन' प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ता से, ऐसे नवीकरण के लिए एक बारगी स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। इन विनियमों में, परिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी समय स्वतः नवीकरण से "बाहर आने का विकल्प देने" के संबंध में अलग से टॉल फ्री शॉर्ट कोड उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा एसटीवी की

वैधता अवधि की समाप्ति से तीन दिन पहले, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएमएस के माध्यम से, उपभोक्ताओं के नवीकरण की नियत तिथि, नवीकरण के प्रभार, नवीकरण के लिए निबंधन एवं शर्तें और एसटीवी के निष्क्रियण के लिए टॉल फ्री शॉर्ट कोड के संबंध में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)

भादूविप्रा द्वारा प्रारंभ की गई और इसकी विनियामक निगरानी में संचालित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था, किसी उपभोक्ता को, अपने सेवा प्रदाताओं को, यदि वह उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं से असंतुष्ट है तो, अपना मोबाइल नंबर बदले बिना, ॲपरेटर बदलने की सुविधा प्रदान करता है। एमएनपी उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए एक साधन है। भादूविप्रा द्वारा एमएनपी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर उपाय किए जाते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 फरवरी, 2013 के आदेश के बाद जारी निदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न सेवा क्षेत्रों में 122 लाइसेंसों को निरस्त करते हुए 02 फरवरी, 2012 को आदेश जारी किए गए। बाद में 15 फरवरी, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया गया कि उन लाइसेंसधारकों, जिन्होंने स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली नहीं लगाई अथवा जो नीलामी में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में असफल रहे, को संबंधित लाइसेंस क्षेत्रों में अपने प्रचालनों को तुरंत बंद करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में 15 फरवरी, 2013 के आदेश के बाद भादूविप्रा द्वारा एमएनपी तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित निदेश जारी किए गए :—

(क) मैसर्स यूनिटेक वायरलैस के उपभोक्ताओं को नंबरों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के लिए टीएसपी हेतु दिनांक 22 फरवरी, 2013 के निदेश

मैसर्स यूनिटेक, उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक था, जिन्हें 15 सेवा क्षेत्रों में अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी, क्योंकि वे दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा आयोजित नीलामी में किसी प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं कर सका। मैसर्स यूनिटेक के मुंबई और कोलकाता सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता थे, जिनके प्री-पेड खातों में शेष (बकाया) राशि थी, और जो नेटवर्क के अचानक बंद किए जाने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। अतः इन दो सेवा क्षेत्रों में समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और एमएनपी सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किए गए कि यूनिटेक के उपभोक्ताओं को पोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं।

(ख) उन लाइसेंसधारकों, जिन्होंने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं, से संबंधित नंबरों के पोर्टिंग लेन-देन रोकने के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 11 मार्च, 2013 के निदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कुछ रद्द किए गए लाइसेंसधारकों ने कुछ सेवा क्षेत्रों में अपने प्रचालन बंद कर दिए। इसके अतिरिक्त कुछ लाइसेंसधारक ऐसे थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ नहीं की थी। अतः इन लाइसेंसधारकों को आवंटित मोबाइल टेलीफोन नंबर उपयोग में नहीं थे। भादूविप्रा के ध्यान में यह लाया गया कि अनुज्ञापित सेवा क्षेत्रों में, (झूठे यूनिक पोर्टिंग कोडों का उल्लेख करते हुए) इन मोबाइल नम्बरों को अवैध रूप से अन्य विद्यमान सेवा प्रदाताओं के पास स्थानांतरित किया जा रहा है। एमएनपी प्रक्रिया के उद्देश्य और अक्षतता को बनाए रखने के लिए भादूविप्रा ने समस्त टीएसपी और एमएनपी सेवा प्रदाताओं को निदेश दिए कि उन सेवा प्रदाताओं, जिन्होंने या तो सेवा प्रारंभ नहीं की है अथवा पहले ही अपने प्रचालन

बंद कर दिए हैं, से संबंधित मोबाइल टेलीफोन नंबरों के संबंध में अनुरोधों पर न तो कार्रवाई करें और न ही इन पर विचार करें।

- (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रचालन बंद करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पोर्ट किए गए मोबाइल नंबरों को नंबर रेंज धारक को वापस लौटाने के संबंध में दिनांक 16 मई, 2013 के निदेश

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियमों में यह प्रावधान है कि यदि, प्राप्तकर्ता (पाने वाले) प्रचालक नेटवर्क पर किसी मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के बाद, किसी कारण से मोबाइल नंबर बंद हो जाता है तो, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा इस प्रकार के वियोजन के 90 दिन बाद एमएनपी सेवा प्रदाता को ऐसे वियोजन के संबंध में सूचित किया जाएगा तथा ऐसे मोबाइल नंबर के, वापस नंबर रेंज धारक (अर्थात् उस मूल सेवा प्रदाता जिसको नंबर आवंटित किया गया था) के पास उल्टाव के लिए अनुरोध किया जाएगा।

उन टेलीफोन सेवा प्रदाताओं, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रचालन बंद कर दिए हैं, के द्वारा उन एमएनपी सेवा प्रदाताओं को, ऐसे नंबरों को नंबर रेंज धारकों को वापस करने के संबंध में सूचित नहीं किया जा सका, जो उनके पास पोर्ट किए गए थे। अतः भादूविप्रा ने निदेश दिए हैं कि एमएनपी सेवा प्रदाताओं के द्वारा, इस प्रकार के मोबाइल नंबर, परवर्ती (लैटर) के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, नंबर रेंजधारक को वापस लौटाए जाएं।

कारपोरेट मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

भादूविप्रा द्वारा किसी एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल नंबर पोर्ट करने को सुकर बनाने के लिए सितंबर, 2009 में एमएनपी विनियम जारी किए गए। अपने दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टिंग के लिए यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए एक फॉर्मट उपलब्ध कराया गया।

एमएनपी के कार्यान्वयन के बाद भादूविप्रा को कारपोरेट मोबाइल नंबरों के उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुईं कि उनके पोर्टिंग अनुरोधों को दाता प्रचालकों द्वारा संविदा दायित्वों के आधार पर अस्वीकार कर दिया। कारपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए एक अलग पोर्टिंग प्रक्रिया होने की स्पष्ट तौर पर आवश्यकता थी। कारपोरेट मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुकर बनाने के लिए भूदविप्रा द्वारा विनियमों और निदेशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए गए :—

- (क) कारपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 दिनांक 22 जुलाई, 2013

इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं हैं :-

- (1) कारपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ओर से प्राधिकार पत्र के माध्यम से एकल पोर्टिंग अनुरोध पर 50 कारपोरेट मोबाइल नंबरों तक एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता को पोर्ट किए जा सकते हैं।

- (2) इस पर विचार करते हुए कि एकल पोर्टिंग अनुरोध पर बहुत से नंबरों को संसाधित करना पड़ सकता है। प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को आगे भेजने के लिए, व्यक्तिगत पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 24 घंटे की समय-सीमा की तुलना में 48 घंटे की अनुमति दी गई है।
 - (3) संशोधन को प्रभावी करने के लिए 90 दिन के समय की अनुमति दी गई ताकि टीएसपी और एमएनपी सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणालियों में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए समय उपलब्ध हो सके।
- (ख) कारपोरेट मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग के लिए यूपीसी के फॉर्मेट और यूपीसी की वैधता के संबंध में दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश में 22 अगस्त, 2013 का दूसरा संशोधन

यह संशोधन, कारपोरेट मोबाइल नंबरों के लिए यूपीसी जनित करने के लिए अलग फॉर्मेट निर्धारित करता है, ताकि उनकी सुस्पष्ट रूप से पहचान की जा सके।

इसके अलावा, भादूविप्रा के ध्यान में आया है कि दिनांक 10 फरवरी, 2010 के निदेश में विनिर्दिष्ट यूपीसी की वैधता अवधि की सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग प्रकार से व्याख्या की जा रही है। इस संशोधन के द्वारा, इस विषय पर स्पष्टता उपलब्ध कराई गई है।

पूर्ण एमएनपी (अखिल भारतीय नंबर पोर्टेबिलिटी) दिनांक 25 सितम्बर, 2013

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में “एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी” का उल्लेख किया गया है। भादूविप्रा को लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के आर-पार पूर्ण एमएनपी को कार्यान्वित करने के लिए सिफारिशें देने के संबंध में दूरसंचार विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ। भारत में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन करना न केवल बहुत से लाइसेंस क्षेत्रों के अस्तित्व के कारण जटिल है परंतु इस कारण से भी जटिल है कि देश को दो अंचलों (जोन) में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक अंचल (जोन) एक अलग एमएनपी सेवा प्रदाता के अधीन है। अखिल भारतीय नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित किसी भी योजना में, विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के बीच तथा दो एमएनपी सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःक्रिया से संबंधित समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा।

हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, भादूविप्रा द्वारा ‘पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी’ पर 25 सितम्बर, 2013 को सिफारिशें जारी की गई। इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं हैं :—

- (1) पूर्ण एमएनपी (अंतःसेवा क्षेत्र पोर्टेबिलिटी) के कार्यान्वयन के बाद, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा उस अंचल, जिससे मूल नंबर रेज धारक (अर्थात् प्रथम पोर्टिंग से पहले जिस दूरसंचार सेवा प्रदाता को मूल रूप से नंबर आबंटित किया गया था) संबंधित है को अनुरोध भेजेगा।
- (2) अंतःसेवा क्षेत्र पोर्टिंग (पूर्ण एमएनपी) को सुकर बनाने के लिए, एमएनपी सेवा लाइसेंस में कुछ आशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं।
- (3) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पूर्ण एमएनपी को लागू करने के लिए 6 माह का समय दिया जाना चाहिए।

स्पैम का मुकाबला करना

भादूविप्रा, अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों (यूसीसी) के जोखिम से उपभोक्ताओं को संरक्षित करने में सक्रिय रूप से शामिल है। भादूविप्रा द्वारा इस प्रकार के कॉल एवं एसएमएस की रोकथाम करने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक तंत्र प्रारंभ किया है। एमएनपी के मामले की तरह ही इस तंत्र के सुदृढ़ीकरण और प्रचालन के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।

(1) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 23 मई, 2013

यह संशोधन यूसीसी का सामना करने के लिए संकेत शब्दों की व्याख्या का प्रबंध करता है। लेन-देन संबंधी एसएमएस के लिए 05 पैसे प्रति एसएमएस की दर से समापन प्रभार भी निर्धारित किया गया है। इन विनियमों में सरकारी एजेंसियों को लेन-देन संबंधी एसएमएस प्रभारों से छूट देने का प्रावधान किया गया है।

(2) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (टीसीसीसीपी) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 23 मई, 2013

टीसीसीसीपी पोर्टल में शिकायतों की निगरानी के द्वारा ऐसे सामान्य उपभोक्ताओं, जो प्राधिकरण के पास टेलीमार्केटर्स के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, द्वारा भेजे गए यूसीसी की रोकथाम करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। विनियम में यह प्रावधान है कि यदि किसी उपभोक्ता के विरुद्ध यूसीसी भेजने के संबंध में वैध शिकायत प्राप्त होती है तो, प्रवर्तक सेवा प्रदाता द्वारा उसे आवंटित सभी दूरसंचार स्रोत वियोजित करेगा। विनियम में पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके दूरसंचार संसाधनों को यूसीसी भेजने के कारण वियोजित किया गया है, के लिए एक अलग काली सूची निर्धारित की गई है। दूरसंचार संसाधनों के एक बार वियोजित किए जाने पर, ऐसे उपभोक्ता का नाम व पता काली सूची में दर्ज किया जाएगा, दूरसंचार सेवा प्रदाता के द्वारा दो वर्ष के लिए उसे कोई दूरसंचार संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(3) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013

इन विनियमों में (तीसरी शिकायत के बाद) उस संगठन/कंपनी, जिसकी ओर से यूसीसी भेजा गया हो, के सभी दूरसंचार संसाधनों को वियोजित करने का प्रावधान है। यह आशा की जाती है कि मूल कंपनी, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां और अचल संपदा कंपनियों के दूरसंचार संसाधनों के वियोजित किए जाने के कारण होने वाले वास्तविक निरुत्साहन, एक निवारक के रूप में कार्य करेंगे और इन संगठनों के मन में और अधिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करेंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की यूसीसी का आग्रह करने वाले टेलीफोन नंबर (अर्थात कॉल बैंक नंबर) भी वियोजित कर दिए जाएंगे।

(4) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013

स्पैम के जोखिम का एक बड़ा हिस्सा अप्राधिकृत टेलीमार्केटिंग गतिविधियों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। इस संशोधन में ऐसे प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य, टेलीमार्केटिंग करने वालों को

भादूविप्रा के साथ पंजीकरण कराने और प्राधिकृत माध्यमों से अपना व्यवसाय चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें टेलीमार्केटिंग करने वालों के लिए पंजीकरण अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रावधान है।

वर्तमान पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वाले, 5000/-रुपए नवीकरण शुल्क का भुगतान करके, अपने पंजीकरण का नवीकरण करा सकते हैं। टेलीमार्केटिंग करने वालों के लिए पंजीकरण फीस को 10,000/-रुपए (1000/-रुपए का पंजीकरण शुल्क तथा 9000/-रुपए उपभोक्ता जागरूकता शुल्क) से घटाकर 5000/-रुपए कर दिया गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास प्रारंभिक प्रतिभूति जमा राशि को 1,00,000/-रुपए से घटाकर 50,000/-रुपए कर दिया गया है।

जन कल्याण उपाय

रेल दुर्घटना सूचना के लिए शॉर्ट कोड 1072 खोलने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 16 जुलाई, 2013 के निदेश

रेल मंत्रालय द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया गया कि रेल दुर्घटना सूचना के लिए आवंटित शॉर्ट कोड, बीएसएनएल को छोड़कर अन्य किसी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है और बीएसएनएल के मामलों में भी यह कई स्थानों पर एसटीडी के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। भादूविप्रा के द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2013 को सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किए गए कि वे अपने फिकर्ड और मोबाइल नेटवर्क पर रेल दुर्घटना सूचना के संबंध में शॉर्ट कोड 1072 चालू करें।

उपभोक्ता शिकायत निवारण

भादूविप्रा का यह प्रयास रहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तीव्रता और प्रभावशाली तरीके से समाधान किया जाए।

दिनांक 11 सितंबर, 2013 के दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 का प्रयास है कि अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में जानकारी बढ़ाकर और अपील दाखिल करने को सुविधाजनक बनाकर, सेवा प्रदाताओं के शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को उन्नत बनाया जाए।

उपभोक्ता सहभागिता

भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ता निकायों और संगठनों के पंजीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इन संगठनों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे भादूविप्रा की गतिविधियों के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करेंगे और इन्हें स्पष्टरूप से अभिव्यक्त करेंगे और साथ ही भादूविप्रा की उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में सहायता करेंगे। भादूविप्रा के पास उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए एक संशोधित तंत्र दिनांक 21 फरवरी, 2013 के उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013 द्वारा निर्धारित किया गया।

विनियमों में उपभोक्ता संगठनों की भूमिका स्पष्ट की गई है। प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक उपभोक्ता संगठन का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं प्रचार के लिए काम करें। अभी तक प्राधिकरण के पास 18 उपभोक्ता संगठनों ने पंजीकरण कराया है और इन संगठनों के विवरण, भाद्रविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इन एजेंसियों के साथ, भाद्रविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय परस्पर संवाद करते हैं, उनकी गतिविधियों का समन्वय करते हैं और सेवा प्रदाताओं के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पूरे देश में पांडिचेरी, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलूर, मुम्बई, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू भोपाल, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, नागपुर, गुवाहाटी, अगरतला, शिलांग आदि जैसे नगरों में 97 उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भाद्रविप्रा मुख्यालय तथा उपभोक्ताओं एवं उपभोक्ता संगठनों के बीच एक मिलन बिंदु के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों ने सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं से संबंधित समस्याओं को भली प्रकार से समझने में सहायता पहुंचाई है। उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र सहित उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए भाद्रविप्रा द्वारा जारी विभिन्न विनियमों/आदेशों/निदेशों के संबंध में जानकारी दी गई। इन उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों, उपभोक्ताओं के साथ परस्पर बातचीत के दौरान उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में बिलिंग, सिमों का निष्क्रियण, एसटीवी का नवीकरण, अपीलीय प्राधिकारियों का सुदृढ़ीकरण इत्यादि शामिल हैं।

II. स्पेक्ट्रम, लाइसेंस देने, बाजार तंत्र और विकास नीति के संबंध में सिफारिशें

भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिदेश में, भादूविप्रा के कठिन क्रिया-कलापों में से एक है, बाजार तंत्र और सेक्टर में नए प्रचालकों का प्रवेश, लाइसेंस प्रदान करने की प्रणाली, दुलभ संसाधनों जैसे कि स्पेक्ट्रम, दूर-दराज के क्षेत्रों और अपर्याप्त रूप से सेवित आबादी वाले क्षेत्रों में दूरसंचार का विकास करना, उपभोक्ता संरक्षा एवं सुरक्षा का प्रबंधन करने सहित विविध विषयों पर सरकार को सिफारिशें देना है। इस अधिदेश के अंतर्गत भादूविप्रा द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई की गईः—

स्पेक्ट्रम

(1) “स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य” दिनांक 09 सिंतबर, 2013

दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2013 को भादूविप्रा से 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य के संबंध में सिफारिशें मांगी गईं। दूरसंचार विभाग ने नीलामी के द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम के व्यापार करने की अनुमति देने और स्पेक्ट्रम का व्यापार करने के लिए अपेक्षित कानूनी विनियामक और तकनीकी प्रणाली के संबंध में भी सिफारिशें मांगी।

प्राधिकरण द्वारा हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया चलाई गई। प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए विभिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न प्रतिरूपणों और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करते हुए, एक प्रयोग किया गया। स्पेक्ट्रम प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित कई अन्य पहलुओं, जिनका स्पेक्ट्रम के मूल्य पर सीधा प्रभाव होता है, जैसे कि विभिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, लाइसेंसों के नवीकरण के लिए स्पेक्ट्रम का आरक्षण, रोल-आउट दायित्व और स्पेक्ट्रम एक्सेस प्रभार (यूसीसी) व साथ ही साथ स्पेक्ट्रम का व्यापार, की भी जांच की गई। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09 सिंतबर, 2013 को स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य पर अपनी सिफारिशें भेजी गईं। 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए 22 अनुज्ञापित सेवा क्षेत्रों और 3 महानगरों में 900 मेगाहर्ट्ज के लिए आरक्षित मूल्यों की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गईः—

- दूरसंचार विभाग को, समय-सीमा के साथ भविष्य में उपलब्ध होने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा को दर्शाते हुए, स्पष्ट रोड-मैप का उल्लेख करना चाहिए।
- 900 या 1800 मेगाहर्ट्ज बैंडों के नवीकरण लाइसेंस धारकों के लिए स्पेक्ट्रम का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।
- रोल-आउट दायित्व को गांव स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रभावी तिथि से, 5000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को 05 वर्ष के अंदर शामिल किया जाना चाहिए तथा 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सात वर्ष के अंदर शामिल किया जाए।
- एक समयबद्ध तरीके से 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए विस्तारित-जीएसएम (ई-जीएसएम) को अपनाने की संभाव्यता की छानबीन की जानी चाहिए।

- नीलामी के माध्यम से आवंटित सारे स्पेक्ट्रम के लिए, अब से एसयूसी एक समान दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए।
- देश में स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिए।

दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 को दूरसंचार विभाग द्वारा कुछ सिफारिशों पर स्पष्टीकरण/पुनर्विचार के लिए कहा गया। दूरसंचार विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण द्वारा 23 अक्टूबर, 2013 को विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए अपनी पहले की सिफारिशों को दोहराया गया।

लाइसेंस प्रदान करना

(1) दिनांक 02 जनवरी, 2013 की “एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा) की निबंधन और शर्तें”

दूरसंचार विभाग द्वारा अपने दिनांक 21 दिसंबर, 2012 के पत्र द्वारा “एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवाएं) की निबंधन एवं शर्तें” को यह उल्लेख करते हुए भादूविप्रा के पास भेजा गया कि नवंबर, 2012 में आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी में हुए सफल नए प्रवेशकर्ताओं को, नए लाइसेंस जारी करने की जरूरत थी, और अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें एक सेवा क्षेत्र स्तर का एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा) जारी किया जाना चाहिए।

भादूविप्रा द्वारा अपनी सिफारिशों दी गई, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ स्पेक्ट्रम धारिता के लिए वास्तविक अंशधारिता/परस्पर धारिता की आवश्यकता को सम्बद्ध करना, लाइसेंस शर्तों की बड़े/छोटे उल्लंघन करने पर श्रेणीकृत दण्ड का निर्धारण, समायोजित सकल आय (एजीआर) की गणना करने के लिए अंतर—सेवा रोमिंग आय का शामिल करना, एसयूसी की उगाही करने के लिए समायोजित सकल आय (एजीआर) की मद में केवल वायरलैस सेवाओं से आय पर ध्यान देना, उदारीकृत स्पेक्ट्रम की साझेदारी करने के लिए अनुमति इत्यादि, शामिल था।

(2) “अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी)—उन्नत मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाएं” दिनांक 19 मार्च, 2013

भादूविप्रा द्वारा स्व—प्ररेणा से आईएमटी—उन्नत मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं पर परामर्श किया गया। अपनी दिनांक 19 मार्च, 2013 की सिफारिशों में, भादूविप्रा द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में विभिन्न बैंड योजनाओं पर विचार किया गया और यह अवलोकित किया कि कई देश, विशेषकर एशिया—प्रशान्त क्षेत्र में या तो उन्होंने फ्रीक्वेन्सी डिवीजन डुप्लेक्स (एफडीडी) आधारित एपीटी 700 बैंड योजना को अपना लिया है अथवा इसे अपनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि एफडीडी आधारित 2x45 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी व्यवस्था के साथ 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड (698—806 मेगाहर्ट्ज) के लिए एपीटी 700 बैंड योजना को अपनाया जाना चाहिए, ताकि भारत इस सुमेलित बैंड योजना से संभावित रूप से निकलने वाले व्यापक पर्यावरण तंत्र का लाभ उठा सके।

(3) “डीटीएच लाइसेंस निर्गम/विस्तार” पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 का परामर्श पत्र

दिनांक 03 सिंतंबर, 2013 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा डीटीएच लाइसेंसों की अवधि बढ़ाने के लिए कुछ निबंधन और शर्तों, व चूंकि पहला लाइसेंस दिनांक 30 सिंतंबर, 2013 को समाप्त हो रहा था, अतः अंतरिम व्यवस्था पर भी भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी गईं।

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। भादूविप्रा द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को यह सूचित किया गया कि अंतरिम अवधि के दौरान डीटीएच लाइसेंसधारकों को इस शर्त के अधीन अंतरिम अवधि के दौरान वर्तमान निबंधन और शर्तों पर, अपने प्रचालन/सेवाएं चालू रखने की अनुमति दी जा सकती है कि प्रचालक अपनी वर्तमान बैंक गारंटी का नवीकरण कराएंगे और भारत सरकार को यह वचनबंध प्रस्तुत करेंगे कि वे अंतरिम अवधि के लिए तय की गई नीति का अनुपालन करेंगे और साथ ही साथ नीति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा करेंगे।

(4) एफएम चरण-2 के प्रचालकों के एफएम चरण-3 लाइसेंसिंग व्यवस्था में स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र

09 अप्रैल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा भादूविप्रा से एफएम चरण-2 के प्रचालकों के एफएम चरण-3 लाइसेंसिंग व्यवस्था में स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें मांगी गईं। तदनुसार इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

मीडिया बाजार और स्वामित्व

देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता तक पहुंचने की इसकी क्षमता यह सूचित करती है कि जनमत निर्मित करने (और इसे प्रभावित करने) और जागरूकता पैदा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय मीडिया बाजार तेजी से बदल रहा है। बड़ी कंपनियां, मीडिया क्षेत्र में अपने व्यापारिक हितों को विस्तारित करने की सोच रही हैं। गैर-मीडिया कंपनियों के लिए मीडिया क्षेत्र में निवेश करना, राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव को विस्तारित करने का साधन हो सकता है। बड़े समूहों (विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी बड़ी कंपनियों) द्वारा प्रिंट, मीडिया और रेडियो में विस्तार करने से मीडिया कंपनियों का समस्तर पर एकीकरण होना असंभव है। इसके अलावा, अधिक से अधिक प्रसारण कंपनियां वितरण खंड, जैसे कि केबल टेलीविजन और डीटीएच सेवाओं में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) एकीकरण हो रहा है। इसके साथ ही साथ वितरण खंड में भी एकाधिकार उभर रहे हैं। ये गतिविधियां, भादूविप्रा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मीडिया में बहुलता सुनिश्चित करने तथा एकाधिकार एवं बाजार आधिपत्य की बुराइयों का सामना करने के लिए भादूविप्रा द्वारा वर्ष के दौरान कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

(1) “मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे” विषय पर 15 फरवरी, 2013 का परामर्श पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा प्रसारण क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) एकीकरण तथा प्रिंट, टीवी और रेडियो क्षेत्र के आर-पार क्रास मीडिया होल्डिंग से संबंधित मुद्दों पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी गईं।

एमआईबी द्वारा भादूविप्रा से (क) प्रसारण क्षेत्र की न्योचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) एकीकरण पर ध्यान देना, (ख) समाचारों और विचारों की बहुलता और उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सेवा गुणवत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, क्रास मीडिया स्वामित्व पर ध्यान देने के संबंध में उपायों पर सुझाव देने के लिए कहा। दिनांक 15 फरवरी, 2013 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में चर्चित प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

- (1) कुछ कंपनियों को मीडिया क्षेत्र में प्रवेश से वंचित करना।
 - (2) मीडिया केन्द्रों पर किसी कंपनी के स्वामित्व/नियंत्रण का माप।
 - (3) उन मीडिया खंडों, चैनलों के प्रकार और सम्बद्ध बाजार, जिनमें स्वामित्व नियमों को निर्धारित किया जाना है।
 - (4) मीडिया खंडों के अंदर व आर-पार और प्रसारण व वितरण कंपनियों के बीच, मीडिया स्वामित्व के नियम निर्मित करना।
 - (5) मीडिया सेक्टर में विलयन और अधिग्रहण के मामलों में नियम/प्रतिबंध निर्मित करना।
 - (6) मीडिया कंपनियों द्वारा अनिवार्य प्रकटनों के लिए मानक निर्धारित करना।
- (2) “प्रसारकों से प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों का वितरण” पर, दिनांक 06 अगस्त, 2013 का परामर्श पत्र

विभिन्न प्लेटफार्म प्रचालकों को टीवी चैनलों का वितरण करने वाले प्रसारकों एवं उनकी प्राधिकृत एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए विनियामक तंत्र से संबंधित विषय पर परामर्श पत्र जारी किया गया है।

- (3) “टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा-निर्देश”, दिनांक 11 सिंतबर, 2013

टीवी उद्योग में प्रसारकों और विज्ञापनदाताओं के वित्तीय निर्णयों पर विषय वस्तु (कन्टेन्ट) का निर्माण और इसका नियोजन स्पष्ट रूप से टेलीविजन की रेटिंग प्रणाली द्वारा प्रभावित होता है। वर्तमान में टीवी रेटिंग प्राइवेट एजेंसी के द्वारा की जाती है और यह कई बाधाओं से ग्रस्त है। प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यापक तंत्र विकसित किया है, जो स्पष्ट रूप से रेटिंग एजेंसियों के लिए पैरामीटर और रेटिंग प्रणाली परिभाषित करता है और नियमित आधार पर दण्डात्मक प्रावधानों तथा कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध योजना के माध्यम से प्रभावशाली निगरानी के लिए कार्यपद्धति व इन पैरामीटरों का अनुपालन सुनिश्चित करवाता है। इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं हैं :—

- इन दिशा-निर्देशों में पात्रता मानक, परस्पर धारिता, कार्यपद्धति, शिकायत निवारण, रेटिंग की बिक्री एवं उपयोग, लेखापरीक्षा, सूचना देने की अपेक्षाएं और दण्डात्मक प्रावधान शामिल हैं।

- टेलीविजन दर्शकों संबंधी डाटा संकलन के लिए न्यूनतम 20,000 पैनलित परिवार होने चाहिएं तथा इन्हें दिशा-निर्देशों के प्रभावी होने के 06 माह के अंदर प्रतिपादित किया जाएगा। इसके बाद पैनलित परिवारों की संख्या में, इसके पैनल आकार के 50,000 तक पहुंचने तक, प्रत्येक वर्ष 10,000 की वृद्धि की जाएगी।
- दर्शकों की संख्या की गणना करने के लिए पैनल परिवार, परिवारों के पूल में से चुने जाएंगे, जिनका चयन किसी संस्थान के सर्वेक्षण, जो कि पैनल परिवारों की संख्या का न्यूनतम 10 गुणा होना चाहिए, के माध्यम से होगा।
- पैनल परिवारों की गोपनीयता और निजता को बनाए रखने के लिए उद्योग द्वारा स्वैच्छिक आचरण संहिता अपनाई जानी चाहिए।
- रेटिंग एजेंसियों और प्रसारकों/विज्ञापनदाताओं/विज्ञापनकारी एजेंसियों के बीच “10 प्रतिशत या अधिक की सारभूत अंशधारिता” पर रोक होनी चाहिए।
- रेटिंग एजेंसी द्वारा जनित डाटा/सूचनाएं, समर्त हितधारक पक्षों को एक पारदर्शी और न्याससंगत रूप से भुगतान के आधार पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनी संपूर्ण कार्य पद्धति/प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक से वार्षिक आधार पर करवानी चाहिए। सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को रेटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।
- मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर दस लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का आर्थिक दण्ड व पंजीकरण निरस्त करने सहित दण्डात्मक प्रावधान होने चाहिए।
- मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए विद्यमान रेटिंग एजेंसी को छह माह का समय दिया गया है।

(4) “केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/मार्केट अधिपत्य” पर दिनांक 26 नवंबर, 2013 की सिफारिशें

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा भादूविप्रा से यह जांच करने का अनुरोध किया गया कि क्या केबल टीवी सेक्टर में एकाधिकार/हित संचय की रोकथाम करने के लिए बहु-प्रणाली प्रचालकों (एमएसओ) और स्थानीय केबल प्रचालकों (एलसीओ) पर कुछ यथोचित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भादूविप्रा से प्रतिबंधों के रूप, प्रकृति और सीमा पर अपनी सिफारिशें देने तथा केबल टीवी नेटवर्क (विनियमों) अधिनियम 1995 और नियमों में अपेक्षित संशोधनों के संबंध में सुझाव देने का अनुरोध किया गया। प्रमुख सिफारिशें हैं:-

- टीवी चैनल वितरण बाजार में एमएसओ के एकाधिकार/प्रभुत्व का मूल्यांकन करने के लिए राज्य को संबंधित बाजार के रूप में परिभाषित किया गया है।

- बाजार प्रभुत्व का निर्धारण किसी एमएसओ के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या की बाजार हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है।
- प्रतियोगिता या प्रभुत्व के स्तर का मापन करने के लिए हरफिनदहल हृशमैन सूचक (एचएचआई) का उपयोग किया जाएगा।
- नियंत्रण की परिभाषाएं, विधितः और वस्तुतः नियंत्रण को शामिल करते हुए उपलब्ध कराई जाती हैं।
- विलयन और अधिग्रहणों (एमएण्डए) से पहले विनियामक की पूर्व अनुमति ली जानी है।
- बहु-प्रणाली प्रचालकों (एमएसओ) व स्थानीय केबल प्रचालकों (एलसीओ) के बीच विलयन व अधिग्रहण करने के लिए नियम एचएचआई के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- निर्धारित मानकों की सीमा में आने के लिए नियंत्रण को सीमित करने के लिए समूहों को 12 महीने का समय दिया जाए।
- प्रकटन और सूचना देने की अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

दूरसंचार के लिए व्यापक एक्सेस

(1) “पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करना : एक निवेश योजना” 26 सिंतबर, 2013

पूर्वोत्तर राज्यों में गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अंतर (गैप) का विश्लेषण करने के बाद, निवेश योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दूरसंचार सेवाओं के नवीकरण और संवर्धन के लिए एक व्यापक दूरसंचार योजना तैयार करना था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दूरसंचार तंत्र की वर्तमान स्थिति तथा कमियों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें एनईआर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य सौंपा गया है, सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। भादूविप्रा की सिफारिशों के तीन मुख्य घटक थे, (क) एक अंतर (गैप) विश्लेषण, (ख) राज्यवार सुझाई गई दूरसंचार योजनाएं, (ग) इस सुझाई गई समग्र योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निवेश का प्राक्कलन।

भादूविप्रा द्वारा अन्य बातों के साथ ही साथ निम्न सिफारिशें की गई हैं :—

- पूर्वोत्तर में ब्रॉडबैंड के लिए बैंडविड्थ की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों की राजधानियों के बीच और राज्य की राजधानी व जिला मुख्यालयों के बीच प्रचुरता/विविधता के साथ संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- 250 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों एवं गांवों में 2जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध होना चाहिए।

- चूंकि 3जी सेवाओं की पैठ बहुत अपर्याप्त है, यह सिफारिश की गई है कि प्रारंभ में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सभी शहरी क्षेत्रों में 3जी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ निर्विवाद (सीमलेस) संयोजकता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों में विचारित योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समग्र निवेश का प्राक्कलन 2018 करोड़ रुपए का किया गया है। सिफारिशों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझी गई कुछ नीति व सहायक गतिविधियां भी शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

- (1) उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जो 250 की आबादी वाले आवासों (हैबिटेशन) के न्यूनतम 80 प्रतिशत को शामिल कर लेते हैं तो, उन्हें लाइसेंस शुल्क के एजीआर में 02 प्रतिशत की छूट ।
- (2) सेटलाइट संयोजकता के माध्यम से बैंडविड्थ प्रभारों के लिए व्यापक सेवा उत्तरदायित्व (यूएसओ) निधि से सहायिकी ।
- (3) दूरसंचार टावरों पर सौर ऊर्जा यूनिटें संस्थापित करने के लिए सहायिकी ।
- (4) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पीजीसीआईएल और बीएसएनएल द्वारा डार्क फाइबर का पट्टा, समतुल्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बैंडविड्थ पट्टा प्रभारों में देश के अन्य भागों में प्रचलित बैंडविड्थ पट्टा प्रभारों के स्तर के कमी लाना ।
- (5) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ गुजरने वाले सभी बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशनों (बीटीएस) के लिए छह महीने की अवधि के अंदर परस्पर अंतर व अंतरा सर्किल रोमिंग अनुबंध करें ।
- (6) राज्य सरकारें :-
 - (क) बीटीएस के लिए अग्रता के आधार पर वाणिज्यिक विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
 - (ख) बीटीएस के निर्माण के लिए भूमि और सरकारी भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
 - (ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे डीजल जनरेटरों (डीजी) पर करों/प्रभारों की उगाही को निरस्त करें ।
 - (घ) राज्य विद्युत बोर्ड के ट्रांसमीशन टावरों/खंभों के सहारे से ऑप्टिकल फाइबर केबलों को लगाने/खीचने (पुलिंग) की अनुमति ।
 - (च) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डीजल की आपूर्ति की उपलब्धता को विशेषकर बंद/हड़तालों के दौरान सुकर बनाना ।

(छ) डीजल जनरेटर सेटों को चौबीस घंटे चलाने की अनुमति प्रदान करना ताकि बाधा रहित संयोजकता उपलब्ध रहे।

(ज) दूरसंचार से संबंधित प्रदूषण/ध्वनि नियंत्रण प्रमाण पत्र, पर्यावरण अनुमति, स्थल अधिग्रहण, वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति इत्यादि सहित, समस्त अनुमतियों/अनापति प्रमाण पत्रों (एनओसी) के लिए एक ही स्थान पर (सिंगल विंडो) अनुमति प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति

1. “भारत में प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)” पर दिनांक 22 अगस्त, 2013 की सिफारिशें

ये सिफारिशें, विशेष रूप से प्रसारण क्षेत्र के तीन खंडों से संबंधित हैं, अर्थात् प्रसारण कैरिज सेवा, टेलीविजन सामग्री की विषय—वस्तु (कन्टेंट) सेवा और एफएम रेडियो सेवा। प्रसारण, कैरिज सेवा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने और ‘न्यूज और करेन्ट अफेयर’ टीवी चैनलों तथा एफएम रेडियो सेवाओं के लिए 49 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। यह भी सिफारिश की गई है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और कारगर तथा समयबद्ध बनाया जाए।

आपात सेवाएं

1. ‘सार्वभौमिक एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली’ पर दिनांक 15 मार्च, 2013 का परामर्श पत्र

अधिकांश आपात स्थितियां आमतौर पर स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या पर्यावरण के सीधे खतरे से संबंधित होती हैं और इस कारण इनके लिए त्वरित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। भारत में वर्तमान में पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन इत्यादि के लिए अलग—अलग आपात संचार व प्रतिक्रिया प्रणालियां स्थापित हैं। इन प्रणालियों तक पहुंच विभिन्न नंबरों जैसे कि 100 (पुलिस), 101 (अग्नि), 102 (एम्बुलेंस) और 108 (आपात आपदा प्रबंधन) इत्यादि के माध्यम से है।

अधिकांश विकसित देशों में एक एकीकृत आपात संचार व प्रतिक्रिया प्रणाली उपलब्ध है, जिस पर पहुंच उसके नागरिकों के द्वारा एक एकल सार्वभौमिक नंबर के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में ‘911’ नंबर का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश यूरोपीय देशों में आपात प्रतिक्रिया के लिए ‘112’ नंबर उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान प्रणाली में कई कमियों के आलोक में, भारत में भी एक समान प्रणाली होने की आवश्यकता महसूस की गई। तथापि, इसके क्रियान्वयन के लिए विशेषकर तब, जब भिन्न—भिन्न प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलग—अलग सरकारी/एजेंसियां शामिल हों, चुनौतियां हैं।

भादूविप्रा द्वारा “सार्वभौमिक एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली (आईईसीआरएस)” पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए दिनांक 15 मार्च, 2013 को परामर्श पत्र जारी किया गया। कुछ मुद्दे हैं, आपात सेवाओं के प्रकार, जो कि एकल आपात नंबर के माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए, सार्वभौमिक एकल आपात नंबर की पहचान और कॉल करने वाले के अवस्थान (विशेषकर मोबाइल उपभोक्ताओं) की पहचान करना तथा वास्तविक समय में स्थानांतरण करना, निधिकरण (फन्डिंग) तंत्र, भाषा अनुवाद संबंधी मुद्दे, इत्यादि।

2. आपात स्थितियों/विपत्तियों (दुर्घटनाओं) के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के फेल होने पर अनुक्रिया और पुनःस्थापन कार्यों में लगे व्यक्तियों की कॉलों को अग्रता के आधार पर रूटिंग करने पर दिनांक 26 नंबर, 2013 की सिफारिशें

विपत्तियों/दुर्घटनाओं/आपात स्थितियों के दौरान दूरसंचार ट्रैफिक में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नेटवर्क में संकुलन (जमाव) हो जाता है। इस प्रकार का संकुलन (जमाव) आपात स्थिति पर अनुक्रिया प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति की संप्रेषण और समन्वय करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है और इस प्रकार विपत्ति (दुर्घटना)/आपात स्थिति पर सरकारी अनुक्रिया को गंभीर रूप से क्षति पहुंच सकती है।

नेटवर्क संकुलन होने पर, उन लोगों के बीच, जो इस प्रकार की आपात स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी कॉलों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए ऐसी युक्ति विकसित करना, जो संप्रेषण को सुकर बनाए जाने के संबंध में भादूविप्रा द्वारा दिनांक 10 मई, 2012 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं जानकारियों के आधार पर भादूविप्रा द्वारा स्वतःप्रेरणा से 26 नवंबर, 2013 को दूरसंचार विभाग को “आपात स्थितियों/आपदाओं (दुर्घटनाओं) के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के फेल होने पर अनुक्रिया और पुनःस्थापन कार्यों पर लगे व्यक्तियों की कॉलों को अग्रता के आधार पर भेजना विषय पर अपनी सिफारिशें भेंजी ।

सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- (1) आपदाओं/दुर्घटनाओं के दौरान अनुक्रिया और पुनःस्थापन कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की कॉलों को अग्रता के आधार पर भेजने को सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रता कॉल रूटिंग (पीसीआर) योजना प्रारंभ की जानी चाहिए।
- (2) भारत में यदि आवश्यकता हो तो, चल रही कॉलों को रोकने (जब्त करने) के अधिकार के साथ वायरलैस नेटवर्क में बढ़ी हुई बहुस्तरीय अग्रता और पूर्व अधिकृत करना (ईएमएलपीपी) आधारित पीसीआर को लागू किया जाना चाहिए। ईएमएलपीपी की कॉल पूर्व अधिकृत करने की विशेषता की बाद में आपात स्थितियों के दौरान पीसीआर योजना के निष्पादन के आधार पर समीक्षा की जा सकती है।
- (3) सरकार द्वारा पीसीआर के लिए निधि की व्यवस्था बजट आवंटन/समर्थन के माध्यम से की जाए और इसके क्रियान्वयन की निगरानी की जाए। पीसीआर योजना के लिए प्रचालनिक खर्चों को राष्ट्रीय व राज्यों की आपदा राहत निधियों (एनडीआरए—एसडीआरएफ) से वहन किया जाए।
- (4) भारत में पीसीआर को कार्यान्वित करने में आने वाली लागत का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का सुझाव दिया गया है। भादूविप्रा, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक संचालन समिति प्रायोगिक परियोजना का परिचालन करें और साथ ही सेवा प्रदान करने के मॉडल का भी सुझाव

दे। भादूविप्रा, पीसीआर सेवाओं के प्रभार लेने के संबंध में सेवा लागतों का डाटा प्राप्त करने के बाद निर्णय लेगा।

- (5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया दिखाने/करने वालों को, जो भी नेटवर्क उपलब्ध है, उस पर उनका एक्सेस हो, अग्रता सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से अंतरा-सर्कल रोमिंग व्यवस्था आरंभ करनी होगी। भारत में आपातकालीन दूरसंचार नीति का पर्यवेक्षण करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति, जिसमें दूरसंचार विभाग, भादूविप्रा, एनडीएमए, टीईसी के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि होंगे, गठित की जानी चाहिए।

III. अंतःसंयोजन

भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को अधिदेशित किया गया है कि वह अंतःसंयोजन के लिए निबंधन व शर्त निर्धारित करे और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करे। एक बहु-प्रचालक परिदृश्य में अंतःसंयोजन दूरसंचार व्यवसाय के मूल में स्थित है। सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतःसंयोजन की निबंधन व शर्त को विनियमित करने की आवश्यकता है।

भादूविप्रा द्वारा निम्नलिखित अंतःसंयोजन प्रभार निर्धारित किए गए :—

- (1) एसएमएस समापन प्रभार और लेन-देन संबंधी एसएमएस प्रभार विनियम, दिनांक 24 मई, 2013

एसएमएस समापन प्रभार, वे प्रभार हैं, जिनका भुगतान प्रवर्तक एक्सेस प्रदाता द्वारा समापक एक्सेस प्रदाता को उसके नेटवर्क पर समाप्त होने वाले प्रत्येक एसएमएस के लिए किया जाना है। वाणिज्यिक एसएमएस की संख्या में घातीय वृद्धि, एसएमएस ट्रैफिक में अत्यधिक असंतुलन और कुछ प्रमुख सेवा प्रदाताओं द्वारा एकपक्षीय एसएमएस समापन प्रभारों के लिए, पूर्व की स्थगन नीति की समीक्षा की गई और लागत आधारित 02 पैसे प्रति एसएमएस व 05 पैसे प्रति लेन-देन संबंधी एसएमएस के समापन प्रभार निर्धारित किए गए।

ये विनियम, दिनांक 01 जून, 2013 से प्रभावी हो गए हैं।

IV. केबल टीवी सेवाओं का डिजिटलीकरण

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) का कार्यान्वयन

केन्द्र सरकार द्वारा डीएएस के लागू करने के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद, इसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा अधिसूचित की गई हैं। डीएएस के निर्विहन क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा टैरिफ, प्रसारकों और एमएसओ के बीच और एमएसओ व एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन व्यवस्थाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक और सभी डीएएस ऑपरेटरों के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के लिए अपेक्षित विनियामक तंत्र स्थापित किया गया। डीएएस का कार्यान्वयन दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता महानगरों में तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले 38 नगरों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) एमएसओ और एलसीओ को दिए गए 25 फरवरी, 2013 और 26 अप्रैल, 2013 के निर्देश

डिजिटलीकरण को लागू करने की प्रक्रिया में सभी एमएसओ और एलसीओ को निर्देश जारी किए गए थे कि भादूविप्रा द्वारा निर्धारित विनियामक तंत्र के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं द्वारा चुने गए चैनलों के विवरणों के साथ उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। एमएसओ से यह अपेक्षित था कि वह डीएएस के माध्यम से केबल सेवा उपलब्ध कराने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसकी उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली को परिचालित कर दिया गया था और टीवी चैनलों के सिग्नल केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे थे, जिनके विवरण जैसे कि नाम, पता, चैनलों की पसंद और बुके इत्यादि उपभोक्ता प्रणाली में दर्ज कर दिए गए थे। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए थे कि ऐसे उपभोक्ताओं के टीवी सिग्नलों को वियोजित कर दें, जिनके विवरण जैसे कि नाम, पता, चैनलों की पसंद और बुके इत्यादि उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज नहीं हैं।

(2) सभी पे-प्रसारकों/एग्रीगेटरों और एमएसओ को 06 मई, 2013 के निर्देश

सभी पे-प्रसारकों/एग्रीगेटरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि पे-चैनलों को सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए डीएएस के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एमएसओ के साथ उनके अंतःसंयोजन करार कर दिए गए हैं। समान रूप से, डीएएस के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एमएसओ को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ उनके अंतःसंयोजन करार की निबंधन और शर्तों को लिखित में दर्ज कर लें। प्रसारकों/एग्रीगेटरों और एमएसओ को ये निर्देश भी जारी किए गए थे कि वे 07 दिनों के अंदर उस सेवा प्रदाता का नाम, जिसके साथ अंतःसंयोजन करार किया गया है तथा सम्मिलित सेवा क्षेत्र और करार की वैधता अवधि के विवरण प्रस्तुत करें।

(3) दूरसंचार (प्रसारण व केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, 20 सिंतबर, 2013

अंतःसंयोजन विनियमों में संशोधन द्वारा एमएसओ के लिए न्यूनतम 500 चैनलों को वहन करने की क्षमता से संबंधित कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया गया है और एमएसओ के द्वारा स्थापन (प्लेसमेंट) फीस लेने पर रोक

लगाई गई है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि एमएसओ, किसी 'अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं' खंड के लिए निवेदन करके विशिष्ट चैनल के सिग्नल की मांग और बाद में उस चैनल को वहन करने के लिए कैरिज फीस की मांग नहीं कर सकता है।

(4) **दूरसंचार (प्रसारण व केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली)(दूसरा संशोधन)** आदेश, 2013, 20 सिंतबर, 2013

टैरिफ आदेश में संशोधन, अन्य बातों के साथ ही साथ चैनलों के किराए के बिल के अनुसार दर (अ—ला—कार्ट रेट) की तुलना में बुके दरों को विनियमित करने वाली 'दो शर्तें' को परिवर्तित करता है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित हो सकेगा कि, किराए के बिल के अनुसार (अ—ला—कार्ट रेट) दरें बुके की दरों की तुलना में असंगत नहीं है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनलों को चुनने के लिए अ—ला—कार्ट विकल्प व्यवहार्य बना रहे। इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे उपभोक्ता जो डीएस प्लेटफार्म पर हैं, अपनी पसंद के अनुसार या तो अ—ला—कार्ट के आधार पर चैनल चुन सकते हैं या बुके आधार पर अथवा दोनों को मिलाकर चुन सकते हैं।

V. विनियामक प्रवर्तन

भादूविप्रा द्वारा अपने विनियमों और आदेशों के कार्यान्वयन की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है। वर्ष के दौरान डीएस विनियमों का अनुपालन न किए जाने के कारण 14 एलसीओ और 01 एमएसओ के विरुद्ध अभियोजन शिकायतें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल की गई। इसी प्रकार 14 प्रसारकों के विरुद्ध टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि के संबंध में सेवा की गुणवत्ता विनियम का अनुपालन न करने के संबंध में अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की गईं।

भादूविप्रा द्वारा जारी विभिन्न विनियमों एवं आदेशों के भली प्रकार से प्रवर्तन के लिए प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित किए गए हैं। ऐसा कोई भी सेवा प्रदाता, जो विनियमों और आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, उसे वित्तीय निरुत्साहन के रूप में एक धनराशि का भुगतान करना होगा। कई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर सेवा की गुणवत्ता मानक, मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी पर दिशानिर्देशों, और टैरिफ के संबंध में सूचना देने की अपेक्षाओं और विलग (सेपरेटेड) लेखाकरण सूचना का अनुपालन न करने के कारण वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किए गए हैं।

भादूविप्रा द्वारा सख्ती के साथ विनियामक प्रवर्तन करवाने एवं वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित करने के साथ, सेवा की गुणवत्ता के मानक, नंबर पोर्टिंग के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और टैरिफ की सूचना देने तथा लेखाकरण सूचना के रूप में, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा विनियामक अनुपालनों में सुधार परिलक्षित हुआ है। पोर्टेड मोबाइल नंबरों के सक्रियण में विलंब और पोर्टिंग संबंधी अनुरोधों को गलत रूप से अस्वीकार करने के मामलों में महत्वपूर्ण कमी हुई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप यूसीसी से संबंधित शिकायतें भी बहुत कम रह गई हैं।

VI. अध्ययन लेख

- (1) "भारतीय दूरसंचार सेवा सेक्टर की कंपनियों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सूचना देने के मानकों (अमिसारिक आईएनडीएस) को अपनाने के निहितार्थ" पर 01 फरवरी, 2013 का अध्ययन लेख

इस अध्ययन में आईएनडीएस के कार्यान्वयन का दूरसंचार कंपनियों के लाभ व वित्तीय स्थिति, जैसी कि उनके वित्तीय विवरणों में अंकित की गई है, और उनके द्वारा भूदूविप्रा को प्रस्तुत डाटा और सरकार को अदा की गई लाइसेंस फीस की प्रमात्रा पर संभावित प्रभाव का आंकलन किया गया है।

- (2) "शेयरधारण पैटर्न, वित्त पोषण पैटर्न और भारतीय निजी दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं का पूंजी ढांचा" पर 20 नवम्बर, 2013 का अध्ययन लेख

इस अध्ययन में, दूरसंचार सेक्टर में कार्य कर रहे चौबीस निजी दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लिए वार्षिक लेखे और अन्य सूचना के आधार पर उनके पूंजीगत ढांचे का सामान्य विवरण उपलब्ध कराया गया है। इस अध्ययन में सेक्टर की वित्तीय स्थिति और प्रचण्ड प्रतियोगिता के प्रभाव, नए व्यावसायियों (प्लेयर्स) का प्रवेश, और ऋणभार (इन डेबिटनेस) पर 3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम की नीलामी, और भारत में दूरसंचार कंपनियों की ऋण सुरक्षा (कवरेज) योग्यता और लाभकारिता का अध्ययन किया गया है।

